परिपत्र संख्या 22/10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(51)जन/10/ 7714 दिनांकः 6-8-2010

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक प.7(60)नविवि/3/09 दि. 29.4.10 द्वारा निर्देशित किया है कि राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यालयों व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लीजडीड सादा प्रिन्टेड प्रपत्रों पर जारी होती है, जिन्हें लीजडीडधारक तत्काल पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं और अपनी सुविधा अनुसार अत्यन्त विलम्ब से पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिससे इन लीजडीडस पर राज्य सरकार को देय मुद्रांक शुल्क भी अत्यन्त विलम्ब से मिलता है, जिसे उचित नहीं मानते हुए राजस्थान आवासन मण्डल व समस्त नगरीय निकायों को निम्न कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है :–

1. सभी विकास प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकायों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि/भवनों की लीजडीड पूर्ण मुद्रांकित व पंजीयन करवाकर ही जारी की जावे।

2. स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय भूमियों का व्यावसायिक/संस्थानिक/औद्योगिक आदि कार्यों के लिए भू–उपयोग परिवर्तन किया जाता है, इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति का उस भूमि के संबंध में अधिकारों में वृद्धि/परिवर्तन होता है और इस प्रकार के आदेश स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के अनुसार INSTRUMENTS की श्रेणी में आते हैं और इन पर मुद्रांक शुल्क देय होता है। अतः भू–उपयोग परिवर्तन के समस्त आदेशों को वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(15)वित्त/कर/08–97 दिनांक 25.2.08 के अनुसार समस्त विकास प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय/राजस्थान आवासन मण्डल पूर्ण मुद्रांकित कर पंजीयन के पश्चात् ही जारी करें।

परिपत्र में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा पूर्व में भू–उपयोग परिवर्तन के बहुत अधिक संख्या में आदेश बिना पूर्ण मुद्रांकन के जारी हुए हैं। संबंधित उप पंजीयक इन आदेशों की प्रतियाँ प्राप्त करें। इन आदेशों को अधिसूचना दिनांक 25.2.08 के अनुरूप अन्तर शुल्क के अनुसार पूर्ण मुद्रांकित कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों को, इन संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों से नोटिस दिलाकर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.4.10 के पैरा संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही करावें।

उप पंजीयक सामान्तर कार्यवाही करते हुए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–54 के तहत अपने स्तर से भी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करें।

अतः नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्र में स्थित इन संस्थाओं के संबंधित अधिकारियों से तत्काल सम्पर्क करें और भविष्य में भी लगातार उनके सम्पर्क में रहकर, इन संस्थाओं द्वारा निष्पादित उपरोक्त विषयक दस्तावेज/लीजडीड पूर्ण मुद्रांक–पत्र पर ही जारी करावें।

इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7(39)जन/08/6372–6742 दिनांक 14.7.08, एफ–7(60)जन/09/9838–10287 दिनांक 17.9.09. एफ–7(60)जन/09/11824–12273 दिनांक 22.10.09 एवं विभागीय मार्गदर्शिका के परिपत्र संख्या1/09 के बिन्दु संख्या 10 व 11 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

महानिरीक्षक, 06/8/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(51)जन/10/ 7715-8163 दिनांकः 6-8-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करावें।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
7. आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा/ बीकानेर।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर/अजमेर/अलवर/कोटा/भीलवाड़ा/उदयपुर/ भरतपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
12. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
13. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या–2 पर उल्लेखित भू–उपयोग परिवर्तन के सभी पुराने आदेशों की सूचियाँ प्राप्त करें और इन संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों से तथा संबंधित उप पंजीयकगणों से भी अलग से संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करवाकर, इन भू–उपयोग परिवर्तन आदेशों को पूर्ण मुद्रांकित करें।

    राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–51 (2) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–65 (1) के तहत उप पंजीयक के द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स किया जावे तथा कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–51 (3) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–65 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर, पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा–51 (5) सपठित नियम–65 (5) के तहत देय मुद्रांक शुल्क का आदेश पारित करने की अधिकारिता है।

    अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) से यह अपेक्षा है कि ***वे अभियान के रूप में इस कार्यवाही को आगामी दो माह में पूर्ण करें। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को भेजे जाने वाले मासिक अ.शा.पत्र में इस बिन्दु पर की गई कार्यवाही की प्रगति से अवगत करावें।***

14. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
15. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
16. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
17. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
18. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
19. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
20. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

6/8/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर